ऑन लाईन नं.RCMS2023/280

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 115/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा —विक्रेता—
मै0 मॉ जगदम्बा मावा भण्डार, 19 ए न्यू विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री पुरन मल शर्मा पुत्र संतु राम —(मालिक)—
मै0 मॉ जगदम्बा मावा भण्डार, 19 ए न्यू विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 16.11.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्रीमान् आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनों के प्रकरणों की अभियोजन समयसीमा बढाने एवं मान्य न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आदेशित किया गया है। आवेदक श्री कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाक्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने श्रीमान अभिहीत अधिकारी गंगानगर से उनके पत्र कमांक 1404—05 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर परिवाद मा. न्यायालय में पेश किया।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2022 को समय दोपहर 01 बजे मै. मॉ जगदम्बा मावा भण्डार, 19 ए न्यूविनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता की हैसियत से श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री भवंरलाल को अपना परिचय देकर दुकान में 34 लोहे के पीपों में रखे खोया के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने दुकान पर रखे 34 पीपों में रखे लगभग 620 किलो खोया को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे खोया में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते खोया का नमुना विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध **खोया** 01 किलो को विक्रेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विक्रेता को उक्त क्रयशुदा खोया का नगद भुगतान 220 रुपए किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विक्रेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अशोक कुमार शर्मा एवं गवाहान ने पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक श्री अशोक कुमार को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **खोया** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर प्रत्येक बोतल में फॉर्मेलिन की 20 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद कर बोतलों पर लैबल तैयार का चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1443** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं. के–1443** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अशोक कुमार शर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एव शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–: एलएस / 411 / एक्ट / 2022 / 411 दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1443 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल मैसर्स मॉ जगदम्बा मावा भण्डार, 19 ए न्यू विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर**

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2023/280

द्वारा अमानक स्तर का **खोया** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स माँ जगदम्बा मावा भण्डार दुकान नंबर 19 ए न्यू विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/ दिनांक का दिया है जिसमें तारीख पेशी 13.11.2023 मुकर्र थी, लेकिन सरकारी छुट्टी होने के कारण प्रार्थी आप श्रीमान जी के समक्ष पेश नहीं हो सका। अब प्रार्थी की उक्त पत्रावली को आज पेशी में लिया जाकर प्रार्थी के वाद का आज ही निर्णय किया जावे। उक्त प्रकरण संख्या 115/2023 की फाईल पेशी में लिया जाकर प्रार्थी के वाद का निर्णय किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। उक्त प्रकरण की फाईल पेशी में ली जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद को आज दिनांक **16**.112023 को पेशी में लिया गया और दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **खोया** का सैम्पल **K-1443** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–:एलएस/411/एक्ट/2022/411 दिनांक 25.03.2022 अनुसार खाद्य नमूना **K-1443 Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मैसर्स माँ जगदम्बा मावा भण्डार दुकान नंबर 19 ए न्यू विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/ दिनांक का दिया है जिसमें तारीख पेशी 13.11.2023 मुकर्र थी, लेकिन सरकारी छुट्टी होने के कारण प्रार्थी आप श्रीमान जी के समक्ष पेश नहीं हो सका। अब प्रार्थी की उक्त पत्रावली को आज पेशी में लिया जाकर प्रार्थी के वाद का आज ही निर्णय किया जावे। उक्त प्रकरण संख्या 115/2023 की फाईल पेशी में लिया जाकर प्रार्थी के वाद का निर्णय किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। उक्त प्रकरण की फाईल पेशी में ली जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2023/280

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of "Mawa(Khoa)" bearing Code No and Sr. No. K-1443, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards(Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011.** जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवल लाल** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवल लाल** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000--00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर